<u>**लोक सभा**</u>

अतारांकित प्रश्न संख्या 5053

26 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

आयात करों में कमी

5053. श्री बैजयंत जे पांडाः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निकल सहित प्रमुख इस्पात निर्माण हेतु आवश्यक कच्चे मालों पर आयात कर में कमी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितना बजटीय प्रावधान किया गया है; और

(ग) भारत के इस्पात क्षेत्र में निवेश को इच्छुक जापान तथा दक्षिण कोरिया की कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

<u>**उत्तर**</u>

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री विष्णु देव साय)**

(क) और (ख): सरकार द्वारा आयात शुल्क लगाने पर विचार अन्य के साथ-साथ इस्पात निर्माण की कच्ची सामग्रियों की माँग की स्थिति, घरेलू खपत इत्यादि के आधार पर किया जाता है। दिनांक 02.02.2017 की सीमा शुल्क अधिसूचना संख्या 6/2017-कस्टम के द्वारा निकल और इसकी वस्तुओं पर न्यूनतम सीमा-शुल्क 2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है।

(ग): भारत में इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। विभिन्न देशीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश संबंधी निर्णय उनके अपने वाणिज्यिक हित के आधार पर लिए जाते हैं।

*****